न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:— 537/2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए

1. सुरजीत सिह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया।

—वादी

बनाम

1. रामजी लाल पुत्र केसराराम जाति जाट निवासी दीनगढ तहसील संगरिया।
2. निर्मलादेवी पत्नी राजेन्द्र सिह पुत्री रामजीलाल जाति जाट नि.लीलावाली तह.संगरिया
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री नवरत्न स्वामी—वकील वादी
2. श्री ओम प्रकाश शर्मा—वकील प्रति.सं. 1 ता 2

निर्णय

दिनांक :— 18.11.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 रामजीलाल पुत्र केसराराम तहसील राजस्व संगरिया के चक नं. 4 डीएनजी खाता संख्या 76/63 में कुल खाता संख्या 1.746 है. व इसी चक नं. 4 डीएनजी खाता संख्या 49/37 में कुल खाता 0.253 है इस प्रकार दोनो खातों में कुल 1.999 है. नहरी कृषि भूमि व तहसील श्रीविजयनगर के चक नं. 14 बीजीडी के खाता संख्या 104/48 मे कुल खाता 1.214 है. का विरास्तन खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबन्दीयां हमराह दावा प्रस्तुत है। उक्त समस्त कृषि भूमि हमारी विरासतन कृषि भूमि है जिसमें मुझ वादी एवं प्रतिवादीया संख्या 2 का जन्मजात हक व हिस्सा है नकल प्रतिवादीया संख्या 2 उक्त विरासतन कृषि भूमि मे कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है उसने अपने विरास्तन हक हिस्सा का परित्याग कर दिया है। प्रतिवादीया संख्या 2 विवाहित है उसका विवाह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने विरासतन कृषि भूमि की आय से किया था व शादी के समय ही दान दहेज के रूप में विरासतन हिस्सा दे दिया था अब प्रतिवादीया संख्या 2 कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है। वादी अपने परिवार सहित पिता प्रतिवादी संख्या 1 से अलग रहता हूँ मेरा मुख्य पेशा कृषि है किन्तु उक्त समस्त विरासतन कृषि भूमि पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम होने के कारण मुझ वादी को बीज खाद [illegible] ऋण लेने के लिए काफी असुविधा होती है इसलिये मै वादी अपना जन्मजात [illegible] हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का हकदार एवं दावेदार हूँ। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य घरूतौर पर बंटवारा हो चुका है। मुताबिक घरू बंटवारा के मुझ वादी के हिस्सा में तहसील राजस्व संगरिया के चक नं. 4 डीएनजी के खाता संख्या 76/63 की कुल 1.746 है. व खाता संख्या 49/37 की कुल 0.253 है इस प्रकार दोनो खातों में कुल 1.999 है. नहरी कृषि भूमि आई है व पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.26 15:51:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

राजस्व श्रीविजयनगर के चक नं. 14 बीजीडी के खाता संख्या 104/48 की कुल 1.214 है. कृषि भूमि आई है। उक्त घरू बंटवारा मुताबिक हक हिस्सा में आई कृषि भूमि वादी के कब्जा काश्त में है जिसका वादी विरास्त खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का हकदार एवं दावेदार है। वादी ने कई दफा प्रतिवादीगण से अनुनय विनय की कि मेरा जन्मजात हिस्सा मुताबिक घरूबंटवारा के तहसील राजस्व संगरिया के चक 4 डीएनजी के खाता संख्या 76/63 की कुल 1.746 है. व खाता संख्या 49/37 की कुल खाता 0.253 है. इस प्रकार दोनो खातों में कुल 1.999 है. नहरी कृषि भूमि का मुझ वादी को विरास्तान खातेदार काश्तकार मान लेवे व इसीनुसार राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम से अमल दरामद करवा देवे किन्तु प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे एवं अन्त में ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया बस यही विनाय दावा है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में दर्ज समस्त कृषि भूमि में वादी का जन्मजात हिस्सा है वादी अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 से अलग ग्राम दीनगढ़ में रहता है तथा पिता प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम 14 बीजीडी में रह कर उक्त 14 बीजीडी की कृषि भूमि काश्त करता है। वादी ग्राम दीनगढ़ में रहकर उक्त घरूबंटवारा मुताबिक हिस्सा में आई कृषि भूमि काश्त करता है। उक्त कृषि भूमि को काश्त करने हेतु बीज खाद हेतु बैक से ऋण लेने की आवश्यकता बनी रहती है। अतः वादी को घरूबंटवारा मुताबिक हिस्सा में आई कृषि भूमि का विरास्तन काश्तकार खातेदार घोषित नही किया गया तो वादी को कभी न पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धन से न हो सकेगी। प्रतिवादी संख्या 3 से किसी प्रकार का डायरेक्ट अनुतोष नही चाहा गया है भूमि धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

अतः लिहाजा वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नप्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वादी चक 4 डीएनजी खाता संख्या 76/63 में कुल 1.746 है. व इसी चक 4 डीएनजी खाता संख्या 49/37 में कुल 0.253 है. इस प्रकार दोनो खातो में कुल 1.999 है. नहरी कृषि भूमि का विरासतन खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन [illegible] गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा [illegible] किया जो तस्दीक होकर शामिल पत्रावली किया। राजीनामा [illegible] आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट की ओर [illegible] जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी सुरजीत सिह ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार विरास्तन साक्ष्य में चक 4 डीएनजी के खाता संख्या 76/63 व खाता संख्या 49/37 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 की जमाबन्दीयां एवं चक 4 डीएनजी नामान्तरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.26 15:51:15 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 80 की प्रमाणित प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली किये। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 4 डीएनजी के खाता संख्या 76/63 व खाता संख्या 49/37 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में 1.999 हैक्ट. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रामजी लाल पुत्र केसराराम के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी न चक 4 डीएनजी नामान्तरण संख्या 80 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 2 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 1 रामजी लाल पुत्र केसराराम के नाम चक 4 डीएनजी के खाता संख्या 76/63 व खाता संख्या 49/37 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में आराजी दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश कर वाद को स्वीकार किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :– प्रतिवादी संख्या 1 रामजीलाल पुत्र केसराराम के नाम दर्ज चक नं. 4 डीएनजी खाता सं. 76/63 मे 1.746 है. एवं इसी चक के खाता संख्या 49/37 में 0.253 है.भूमि का वादी सुरजीत सिह पुत्र रामजी लाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 रामजीलाल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaus
Date: 2024.11.26 15:51:15
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 537/2024

1. सुरजीत सिह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया।

–वादी

बनाम

1 रामजी लाल पुत्र केसराराम जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया।
2 निर्मलादेवी पत्नी राजेन्द्र सिह पुत्री रामजीलाल जाति जाट नि.लीलावाली तह.संगरिया
3 तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कार्रवाई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री ओम प्रकाश शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 रामजीलाल पुत्र केसराराम के नाम दर्ज चक नं. 4 डीएनजी खाता सं. 76/63 मे 1.746 है. एवं इसी चक के खाता संख्या 49/37 में 0.253 है.भूमि का वादी सुरजीत सिह पुत्र रामजी लाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 रामजीलाल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोटः– यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बाबत्....X....निल....X....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक........... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18/11/2024..........को जारी किया गया।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.26 15:51:15 IST
Reason: SelfAttested